न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर

मु0नं0	ऑनलाईन नं0	किस्म	उनवान	तारीख रज्जू	निर्णय दिनांक	पृष्ठ
01/18	2018/00120	गुण्डा एक्ट	सरकार बनाम नासिर	04.07.2018	22.12.2025	1लगायत 3

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर

बनाम

श्री नासिर खॉ पुत्र श्री बाबू खॉ जाति मुसलमान लुहार उम्र 36 साल निवासी दशहरा मैदान,गंगापुर सिटी

निर्णय

(इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975)

थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के द्वारा इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के इस न्यायालय में गैरसायल श्री नासिर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान लुहार उम्र 36 साल निवासी दशहरा मैदान गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस आश्य का प्रस्तुत किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत संगत में पड जाने के कारण आमजन के साथ मारपीट, लूट, गृहभेदन, चोरी, हत्या का प्रयास, प्रछन्न गृह अतिचार एवं अवैध हथियार दिखाकर लोगो में भय कारित करना तथा सरेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है। जिसके विरूद्ध अब तक 20 प्रकरण थाना हाजा पर दर्ज हो चुके है। जिनमें से निम्नलिखित प्रकरणों में न्यायालय श्रीमान द्वारा दोषी मानते हुए दण्डित किया है। जिन प्रकरणों में अपराधी को दण्डित किया है उनका प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	नाम थाना	एफआईआर नं0 मय दिनांक	जुर्म धारा	चार्जशीट मय दिनांक	निर्णय का विवरण
1	गंगापुर सिटी	481/98 दिनांक 06.08.98	456,341,323,325 ता0हि0	CS N. 236 17.08.98	7 माह का कठोर कारावास 10.10.02
2	गंगापुर सिटी	95/01 दिनांक 02.02.01	392 ता0हि0	CS N. 60 24.02.01	सजा दिनांक 19.08.04
3	गंगापुर सिटी	969/06 दिनांक 17.12.06	4/25 आर्म्स एक्ट	CS N. 498 21.12.06	सजा दिनांक 11.02.13
4	गंगापुर सिटी	29/10 दिनांक 3.2.10	13 आरपीजीओ एक्ट	CS N. 07 9.2.10	सजा दिनांक 04.7.10
5	गंगापुर सिटी	544/12 दिनांक 9.7.12	13 आरपीजीओ एक्ट	CS N. 222 12.7.12	सजा दिनांक 03.8.12

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/18 सरकार बनाम नासिर

इस प्रकार शख्स श्री नासिर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान लुहार उम्र 36 साल निवासी दशहरा मैदान गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को न्यायालय श्रीमान द्वारा उपरोक्त 05 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है। जिनमें से उक्त अपराधी को दो बार जुर्म धारा राजस्थान सार्वजनिक द्युत आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए दण्डित किया जा चुका है, लेकिन शख्स उपरोक्त बेखौफ होकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने अभ्यस्त हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आमजन का परिवार संकट में पड गया है। यह व्यक्ति सम्पूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। ऐसे व्यक्ति का स्वतन्त्र रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है। अतः अपराधी श्री नासिर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान लुहार उम्र 36 साल निवासी दशहरा मैदान गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के लिए इस्तागासा पेश करने की कृपा करें।

इस्तगासा प्राप्त होने पर न्यायालय में पंजीबद्ध कर सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल के उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

गैरसायल दिनांक 24.11.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर इस्तगासा में अंकित जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक लोक अभियोजक अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती जा रही है। गैरसायल के विरूद्ध अब तक 05 प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके हैं। न्यायालय द्वारा 05 प्रकरणों में सजायाब (दोषसिद्ध) किया जा चुका हैं । दोषसिद्ध ठहराया जाने के उपरान्त भी उक्त व्यक्ति जुऑ–सट्टा का अपराध लगातार कर रहा हैं जिसकी रोकथाम के लिये थाना बदर किया जाना आवश्यक हैं। ताकि इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य पर मनन कर पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 खण्ड–ख(अ) में परिभाषित किया गया हैं कि राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 (सन् 1949 का राजस्थान अध्यादेश 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषसिद्ध हुआ हो, वह व्यक्ति गुण्डे की श्रेणी में आता हैं। उक्त परिभाषा को देखते हुये स्पष्ट होता हैं कि कम से कम दो अपराध करने वाले व्यक्ति को भी गुण्डा के रूप में परिभाषित किया गया हैं। गैरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के 02 एवं 04/25 आर्म्स एक्ट के 01 एवं 392 ता0हि0 के 01 एवं 456,341,323,325, ता0हि0 के 01 मुकदमात दर्ज हुये हैं एवं उनमें से 04 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हैं एवं 01 प्रकरण में 07 माह का कठोर कारावास दिया गया है। जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हैं के गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड सकता हैं। उक्त आधार पर गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करना न्याय संगत हैं।

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) [illegible] (क), (ख), और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम [illegible] की धारा 3 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसायल को 07 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर [illegible] थाना बदर करने का आदेश देता हूं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिन [illegible] 2026 से 07 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एक बार प्रतिदिन अपनी [illegible] देगा तथा थानाधिकारी थाना कुडगांव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:51 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना .कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करें।

थानाधिकारी, थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता हैं कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें एवं थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल के कस्बा गंगापुर सिटी मे वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। संबंधित थानाधिकारियों को तहरीर जारी की जावें तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:51 IST
Reason: SelfAttested